भारत सरकार
Government of India
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Integrated Regional Office, Lucknow
केन्द्रीय भवन, ग्यारहवां तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ- 226024
Kendriya Bhawan, 11th Floor, Sector H, Aliganj, Lucknow-226024, Phone No : 0522-2326696
Email : iro.lko-mefcc@gov.in, gomoefcclko@gmail.com

प.सं. 8बी/ यू.पी.0/07/118/2021/एफ सी/173 दिनांक 09.06.2023

सेवा में

अपर मुख्य सचिव
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।

Online Proposal No. FP/UP/RAIL/41878/2019

विषय: पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा औडिहार–जौनपुर रेलवे सेक्शन के अंतर्गत रेलवे ट्रैक के दोहरीकरण में जनपद गाजीपुर (किमी0 1.900 से 10.900 तक) में प्रभावित 6.50572 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं 09 वृक्षों/पौधों के पातन तथा जनपद जौनपुर में (किमी0 10.900 से 57.400 तक) प्रभावित 43.41704 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 1337 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति अर्थात् कुल 49.92276 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक कुल 1346 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के संबंध में।

संदर्भ: मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी का पत्रांक 2716/11–सी– FP/UP/Rail/41878/2019, दिनांक 21.02.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक विशेष सचिव (वन), उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक पी–67/81–2–2021–800(54)/2021, दिनांक–22.03.2021 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति माँगी गयी है।

प्रकरण को दिनांक 30.05.2023 को आहूत की गयी क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक में Agenda Item No. 5.4 (UP) सम्मिलित किया गया था। क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक में विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि निम्नलिखित बिन्दुओं पर सूचना प्राप्त करने के पश्चात आगामी क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक में प्रकरण को पुनः विचारार्थ रखा जायेगा :–

1. DFOs need to submit the certificate from Railways in accordance with the guideline of MoEFCC dated 10.03.2022 wherein it is clarified that-
   a) "For execution or maintaining of Railway works on Railway owned land within Railway's right of way under Section 11 of Railways Act 1989, notwithstanding the directions of Hon'ble Supreme Court given in the judgment in TN Godavarman Thirumalpad v. Union of India, (W.P. (C) 202/1995), the need for obtaining the approval of the Central Government under Section 2 of the Forest (Conservation) Act, 1980 will not arise.
   b) *These directions are applicable **ONLY for execution or maintaining of Railway works on Railway owned land within Railway's right of way under Section 11 of Railways Act 1989. Rest of the cases will be dealt with relevant provisions under Forest (Conservation) Act, 1980."***

अतः मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्रकरण के सम्बन्ध में उक्त जानकारी/सूचना इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें जिससे प्रकरण में आगामी कार्यवाई सुनिश्चित की जा सके।

भवदीया

(डॉ0 प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक (केंद्रीय)

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा) :–

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ0प्र0।
2. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ0प्र0।
3. वन संरक्षक, वाराणसी वृत्त, वाराणसी।
4. प्रभागीय निदेशक, गाजीपुर/जौनपुर।
5. अवर अभियंता/कार्य/निर्माण/बी0एस0वी0, उत्तर रेलवे, वाराणसी।
6. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, लखनऊ की वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

09.06.2023
(डॉ0 प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक (केंद्रीय)

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
पत्रांक– 3915 /11–सी–FP/UP/Rail/41878/2019, लखनऊ, दिनांक: जून 12 ,2023

प्रतिलिपि– वन संरक्षक, वाराणसी वृत्त, वाराणसी को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर वांछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख इस कार्यालय को तीन प्रतियों में संस्तुति के साथ प्रेषित करने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि– प्रभागीय निदेशक, गाजीपुर एवं जौनपुर को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर वांछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख इस कार्यालय को वन संरक्षक के माध्यम से तीन प्रतियों में संस्तुति के साथ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि– अवर अभियन्ता/कार्य/निर्माण/बी0एस0वी0, उत्तर रेलवे, वाराणसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।